राजस्थान सरकार

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

क्रमाकः.एफ 3(5) इगानवि/ विशा/ 2019 दिनांकः 31 AUG 2021

अधिसूचना (घोषणा)

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ फव्वारा पद्धति से सिचाई हेतु चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर के **प्रेमपुरा माईनर** के कुल1 चक में 1 डिग्गी के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नांकित वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के प्रावधानो के अनुसार एंव राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 उन सब हितकारियो के निमित जिनका इससे सम्बंध हो की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर को कथित भूमि को अवाप्ति के लिए निर्देशित किया जाता है ।

प्रकरण में अधिनियम की धारा 11-12 के तहत विज्ञप्ति क्रमांक एफ 3 (5) इगानवि/भूअ/2019 दिनांक 20.05.2020 को जारी की गई थी। पूर्व में बजट की अनुपलब्धता एवं कोरोना महामारी के कारण कार्यवाही में विलम्ब हुआ, जिसे ध्यान में रखते हुये अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत धारा 11-12 की विज्ञप्ति में वैधता अवधि दिनांक 20.05.2021 से 6 माह अर्थात 19.11.2021 तक बढाई गई है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी, इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर तथा अधिशाषी अभियन्ता सर्वे एवं अन्वेषण लिफ्ट खण्ड प्रथम, इगानप, रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

<u>विवरण संलग्न सूची के अनुसार</u>

संलग्न- सूची

आज्ञा से

ह0/-

(देशराज मीणा)

उपशासन सचिव

इंदिरा गांधी नहर विभाग

जयपुर

जयपुर।क्रमाकः.एफ 3(5) इगानवि/ विशा/ 2019 दिनांकः 31 AUG 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/ प्रस्तुत हैः

1. श्रीमान् मुख्य अभियन्ता, इगानप, बीकानेर।
2. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री/ अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया आगामी प्रकाशित होने वाले राजपत्र के असाधारण विशेषांक में प्रकाशित कर एक मुद्रण की प्रति इस विभाग को शीघ्र अवगत कराने की व्यवस्था करावे।
3. जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ (राज.)
4. अधीक्षण अभियन्ता, साहवा लिफ्ट वृत, इगानप, बीकानेर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सर्वे एवं लिफ्ट खण्ड प्रथम, इगानप, रावतसर को निम्नलिखित कार्यवाही बाबत प्रेषित है।
   (क) इस अधिसूचना को जन संपर्क निदेशालय के माध्यम से दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करे।
   (ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कायवाही हेतु।
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी, इगानप, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उपखण्ड अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।
8. तहसीलदार (भू.अ.)नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.) ।
9. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जबरासर/ पाण्डूसर (तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़)
10. प्रकोष्ठ-6, इगानम जयपुर को उक्त अधिसूचना (घोषणा) को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें ।
11. श्री पवन कुमार यादव, वरिष्ठ सहायक, इगांनम, जयपुर को गजट नोटिफिकेशन को तुरन्त ऑन-लाईन करने हेतु ।
12. रक्षा पत्रावली।

(देशराज मीणा)

उपशासन सचिव

इंदिरा गांधी नहर विभाग

जयपुर

विवरण सूची

धारा 19- के भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013- के तहत धारा 19 प्रस्ताव की कार्यवाही हेतु चौ.

कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर प्रणाली में फव्वारा पद्धति से

सिंचाई हेतु प्रेमपुरा माईनर के चक 2 PPM A कुल 1 चक में 1 डिग्गी के निर्माण के लिए अवाप्त भूमि ग्राम-कल्लासर केलनिया तहसील-रावतसर, जिला-हनुमानगढ, के निर्माण में प्रभावित काश्तकार

की भूमि काविवरण।

क्र. स.	गाँव का नाम	चक न./ डिग्गी न.	भूमि धारक का नाम	ख.स.	खसरे का कुल रकबा (है० में)	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा		किस्म भूमि	विशेष विवरण
						हेक्टर	बीघा/ बिस्वा		
1	केलनिया	2 PPM Diggi-A	सोहनलाल ओमप्रकाश **लक्ष्मीनारायण कुम्भाराम पि. हरीराम कौम जाट हि. 4/6 बहिब रमेशकुमार राजेशकुमार पि. डूगरराम 1/6 हि. बहिब विजेन्द्र अंकित पि. पेमाराम 2/32 हि. बहिब विमला पत्नि पेमाराम 7/96 हि. पूनम पुत्री पेमाराम 1/32 हि. कौम जाट सा. केलनिया खातेदार रहन कुम्भाराम सोहनलाल ओमप्रकाश हि. HDFC सरदारशहर**	125	17.73	1.012	4 बीघा	बारानी 1	
	Total	1				**1.012**	4 बीघा		